



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (1)
PART II—Section 3—Sub-section (1)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 133]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 29, 1995/चैत्र 8, 1917

No. 133]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 29, 1995/CHAITRA 8, 1917

शाहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च, 1995

सा.का.नि. 297(अ) :—दिल्ली विकास प्राधिकरण (विकसित नजूल भूमि की बिक्री) नियमावली, 1981 के नियम 2(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार विभिन्न उपयोगों के लिए वसूलनीय पूर्व-निर्धारित दरें एतद्वारा इस प्रकार अधिसूचित करती है :—

भूमि की श्रेणी

तरेला के लिए 1994-95 में प्रति वर्ग मीटर अनुमोदित पूर्व-निर्धारित दरें

1

2

1. सी.जी.एच.एस. के लिए
भूमि

1813.14 रुपये

1	2
2. वैकल्पिक भूखण्ड	1726.89 रुपये (ग्रान्तरिक विकास की लागत शामिल है)
3. आवास स्कीमें	
एस. एफ. एस.	1813.14 रुपये
एम. आई. जी.	1510.95 रुपये
एल. आई. जी.	906.57 रुपये
ई. डब्ल्यू. एस.	604.38 रुपये (ग्रान्तरिक विकास की लागत फ्लेटों की कीमत निर्धारित करते समय जोड़ी जाएगी)
4. झुग्गी-झोंपड़ी और अनधिकारी पुनर्वास	604.38 रुपये (ग्रान्तरिक विकास को छोड़कर जो ग्रान्तरिक व्यवस्था के साथ दिल्ली नगर निगम के स्लम विंग द्वारा किए जाते हैं)

ये दरें तत्काल प्रभाव से लागू होंगी।

[संख्या के-2001-1/2/95-डी. डी. IIए]

ए. पी. मिश्रा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF URBAN AFFAIRS & EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th March, 1995

GSR No. 297(E).—In exercise of powers conferred by rule 2(1) of the Delhi Development Authority (Disposal of Developed Nasul Land) Rules, 1981, the Central Government hereby notifies the pre-determined rates chargeable for different uses as under :—

Category of land	Approved pre-determined rates for Narela 1994-95 per sq. mtr.
1	2
1. Land for CGHS	Rs. 1813.14
2. Alternative plots	Rs. 1726.89 (The cost of internal development is included)

1	2
3. Housing Schemes	
SFS	Rs. 1813.14
MIG	Rs. 1510.95
LIG	Rs. 906.57
EWS	Rs. 604.38
	(Internal development charges will be added at the time of finalising cost of flats).
4. JJ & Squatters Resettlements	Rs. 604.38 (excluding Internal development which alongwith interim arrangement has to be done by slum wing of MCD)

These rates come into force with immediate effect.

[No. K-20014/2/95-DDIIA]

A.P. SINHA, Jt. Secy.

